न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021

परमेश्वरी देवी पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी– 1 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

श्री पृथ्वीराज शर्मा अधिवक्ता	प्रार्थी
पैरोकार राज	अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: आदेश ::–

दिनांक :–28.04.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीया के नाम से सयुक्त खाता में वाके चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या नया 87 पुराना 41 का मुरब्बा नं. 26,40,41 में 271/6515 हिस्सा नहरी कृषि भूमि है। वादीया का नाम परमेश्वदी देवी है । वादीया के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड बने हुए है। जिसमें भी वादीया का नाम परमेश्वरी देवी है। नकल फौटो प्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड सलग्न वाद पत्र है । यह कि वादीया का नाम परमेश्वरी देवी है लेकिन वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में रामेश्वरी देवी पत्नी लालचन्द दर्ज हो गया है। वादीया का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में नाम परमेश्वरी देवी है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रामेश्वरी देवी है। जमाबंदी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने के कारण मिलान नही होने के कारण वादीया भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का वादी लाभ नही उठा पा रही है। इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम परमेश्वरी देवी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादीया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ने करीबन 7–8 दिन पूर्व नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन दिनांक 07.01.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादीया को यह हिदायत दी गई कि आप न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लेकर आओ। यही वाद कारण है। यह कि वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा दावा, वादीया पेश करके अर्ज है कि फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(क) वादीया का नाम वाके चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या नया 87 पुराना 41 का मुरब्बा नं. 26,40, 41 में 271/6515 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में रामेश्वरी देवी की जगह परमेश्वरी देवी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 2712 दिनांक 15.04.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया द्वारा बहस में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को दोहराते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीया की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में जमाबंदी संवत् 1 बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड भू.अ.नि. चकमहाराजका खाता संख्या 87/41 की प्रति, प्रार्थीया परमेश्वरी देवी का भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति, प्रार्थीया के नाम परमेश्वरी के जनआधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, कार्यालय सभापति नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री वीरूराम के वारिस प्रमाण पत्र की प्रति, पेश की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर. एक्ट के समर्थन में राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरूराम उम्र 55 वर्ष, साकिन 1 बी प्रथम का शपथ पत्र तादादी 50/- रूपये का शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या नया 87 पुराना 41 का मुरब्बा नं. 26, 40, 41 में 271/6515 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में रामेश्वरी देवी पत्नी लाल चन्द के स्थान पर परमेश्वरी देवी उर्फ रामेश्वरी देवी पत्नी लाल चन्द दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner